भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025
दिनॉक : 27.10.2008

पत्र सं0 8 बी/राज0/04/13/2005/एफ.सी. 1421

सेवा में,
प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषयः आर0ए0पी0पी0 स्टेज सी के अन्तर्गत 400 के0वी0एस0/सी0आर0ए0पी0पी0 कोटा लाईन हेतु 11.23 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नाभिक अधिकारी राजस्थान का पत्रांक एफ 14( )2008/वसु/प्रमुवसं/9303, दिनॉकः 12/09/2008

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक एफ 1(33)वन/2005, दिनॉकः 19/05/2005 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03/06/2008 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नाभिक अधिकारी राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार आर0ए0पी0पी0 स्टेज सी के अन्तर्गत 400 के0वी0एस0/सी0आर0ए0पी0पी0 कोटा लाईन हेतु 11.23 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं शुन्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र के दुगने अवनत गैर वन भूमि अर्थात 22.46 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आप पास पड़े रिक्त स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा ट्रान्समिशन लाइन के नीचे छोटे पौधो (विशेषकर औषधीय पौधे) का रोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी हैन्डबुक के Annexure V में दिये गये दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
6. वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
10. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण किया जाएगा और वन पदार्थ की विधिवत् बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/ राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।
11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नाभिक अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. वन संरक्षक, (पूर्ववृत्त)कोटा, राजस्थान।
4. उप महाप्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र 1, 2 न 4, दादाबाड़ी कोटा, राजस्थान
5. आदेश पत्रावली ।

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}